अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों को सर्प दंश

नवभारत न्यूज, पांढुरना, 10 जुलाई, वर्षा ऋतु के साथ ही सर्प दंश की घटनाएं भी बढ़ने लगी है, दो अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों को जहरीले सर्प द्वारा दंश करने पर एक को नगर के चिकित्सालय में तो दूसरे को नागपुर रेफर किया गया। नगर के शासकीय चिकित्सालय से मिली जानकारी अनुसार वर्षा ऋतु के साथ ही इन दिनों सर्प दंश की घटनाओं में वृद्धि होने लगी है, बीते दिवस क्षेत्र के ग्राम नांदनवाडी निवासी बैद्यनाथ प्रसाद 70 वर्ष अपने घर के आंगन में सफाई कर रहा था, इसी दौरान उसके हाथ पर एक जहरीले सर्प द्वारा दंश कर दिया जिसे परिजनों ने तत्काल ग्राम के शासकीय चिकित्सालय लाया जहां प्राथमिक उपचार के बाद इसे पांढुरना नगर के जिला चिकित्सालय लाया जहां इसे भर्ती कर उपचार किया जा रहा है।

वहीं दूसरी घटना ग्राम भूली की बताई जा रहीं है यहा के निवासी पंढरी भादे 65 अपने खेत में कार्य कर रहा था, इसी दौरान इसके पैर पर एक जहरीले सर्प द्वारा दंश करने पर परिजनों ने इसे नगर मुख्यालय के स्वास्थ्य केंद्र लाया जहां इसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद इसे नागपुर रेफर किया गया है।

4 साल में मिली सिर्फ 1 साल की राशि, भुगतान नहीं होने से मजदूर-ठेकेदार परेशान

जनपद सदस्य निधि के आवंटन में देरी, सौसर में धरने की चेतावनी

नवभारत न्यूज़
सौसर 10 जुलाई. वर्ष 2022 में निर्वाचित जनपद सदस्यों की विकास निधि का अब तक समुचित आवंटन नहीं होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जनपद सदस्यों का 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, परंतु अब तक मात्र 1 वर्ष की राशि ही आवंटित की गई है।

जनपद सदस्यों का आरोप है कि पूर्ण निर्मित कार्यों की शेष राशि भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सौसर द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों को आवंटित नहीं की जा रही है। इससे मजदूरों, मिस्त्रियों, दुकानदारों एवं ठेकेदारों को भुगतान करने में भारी कठिनाई हो रही है।

जनपद सदस्यों ने कहा कि वर्ष 2022 से अब तक जनपद के खाते में प्राप्त राशि को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक बैंक खाते में जमा रखा जा रहा है और उस पर प्राप्त ब्याज का उपयोग जनपद द्वारा अपनी सुविधानुसार किया जा रहा है, जो अनुचित है। उन्होंने राशि, ब्याज और उसके उपयोग की जांच की मांग की है।

जनपद सदस्यों ने प्रशासन से एक सप्ताह के भीतर संपूर्ण विकास राशि आवंटित करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर सभी जनपद सदस्य जनपद पंचायत कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना देंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। ज्ञापन देते समय जनपद सदस्य श्रीमती रेणु सालोंटकर, श्रीमती भारती चौरे, विल्सन मेश्राम, श्रीमती मंदा ताजणे, सारिका परतेंती, श्रीमती नलिनी रुन्धे, मारोती कारोंकार, शिव सालोंटकर, गणेश चौरे आदि उपस्थित थे।

एनसी चयन प्रक्रिया :57 जूनियर कैडेट्स का चयन

शारीरिक दक्षता व मेडिकल फिटनेस टेस्ट में 69 में से 57 कैडेट्स सफल

नवभारत न्यूज़
सौसर 10 जुलाई. 24 मध्य प्रदेश बटालियन एनसी छिंदवाड़ा के कमान अधिकारी कर्नल पी. के. वेलु के निर्देशानुसार शासकीय सांदीपनि विद्यालय सौसर में शुक्रवार को प्रथम वर्ष के कैडेट्स के नामांकन एवं भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता एवं मेडिकल फिटनेस प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

भर्ती प्रक्रिया में 39 जेडी और 30 जेडब्ल्यू कुल 69 नव प्रवेशी कैडेट्स ने भाग लिया। भर्ती प्रक्रिया बटालियन के फिजिकल इंस्ट्रक्टर नायक सूबेदार रविंद्र कुमार और हवलदार कृष्ण बहादुर थापा के मार्गदर्शन में संपन्न हुई।

इस दौरान कैडेट्स की दौड़, पुश-अप्स, सिट-अप्स, चिन-अप्स के साथ ही वजन और ऊंचाई के आधार पर शारीरिक दक्षता का परीक्षण किया गया। मेडिकल जांच के बाद 33 जेडी और 24 जेडब्ल्यू कुल 57 जूनियर कैडेट्स का चयन किया गया। पूरी प्रक्रिया विद्यालय की प्राचार्य शैलजा बत्रा एवं उपप्राचार्य गणेश गवनेकर तथा एनसी प्रभारी गणेश अढाऊ के संरक्षण में संपन्न हुई।

शराब पीने अनाज बेचने से मना करने पर पुत्र में वृद्ध माता-पिता की कर दी पिटाई

बहू ने सास, ससुर को चिकित्सालय में किया भर्ती

नवभारत न्यूज,
पांढुरना, 10 जुलाई, शराब पीने के लिए घर में रखा अनाज बेचने से मना करने पर ग्राम पेलेपार के एक कलयुगी पुत्र ने वृद्ध माता-पिता की बड़े ही बेरहमी से पिटाई कर दी, खुन से लहुलुहान सास, ससुर को बहू ने नगर के शासकीय चिकित्सालय लाया जहां इन्हें भर्ती कर उपचार किया जा रहा है, वहीं पीड़ित माता-पिता की शिकायत पर पुलिस जांच कर रहीं है।

नगर के शासकीय चिकित्सालय में भर्ती ग्राम पंचायत मारूड़ के ग्राम पैलेपार निवासी हिरामन पिता दामा उइके 62 ने बताया कि उसका पुत्र सुभाष उइके 40 आदतन शराबी है, शराब पीने के लिए सुभाष घर में रखा गेहूं बेचने ले जा रहा था, इस बात को इसके माता -पिता द्वारा मना करने पर आवेश में आकर सुभाष ने लाठी डंड़े से इसकी मां भागीरथी उइके 55 तथा पिता हिरामन उइके 62 की बड़े ही बेरहमी से पीटाई कर घर से गेहूँ ले जाकर उसे बेचकर शराब पी गया ।

वहीं लडके की मार से खुन से लहुलुहान सास, ससुर को इसकी बहू ने नगर जिला मुख्यालय के शासकीय चिकित्सालय लाया जहां इन दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों द्वारा इन्हें भर्ती कर उपचार किया जा रहा है, वहीं पीड़ित माता-पिता की शिकायत पर पुलिस जांच कर रहीं है।

एनएसएस स्वयंसेवकों ने किया वृक्षारोपण

पांढुर्णा। मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, पांढुर्णा की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) छात्र एवं छात्रा इकाई द्वारा शुक्रवार को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. शहनाज खान के मार्गदर्शन तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी श्री गणेश कुमार तुमडाम के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्वयंसेवकों द्वारा महाविद्यालय परिसर में आम, अमरूद, महुआ, शहतूत, नीम, बेहड़ा एवं बरगद सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया गया।

अनुविभागीय अधिकारी ने मोही घाट के ब्लैक स्पॉट का किया निरीक्षण

दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के दिए निर्देश

नवभारत न्यूज
पांढुर्णा, /10 जुलाई, कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ के निर्देशन में मोही घाट क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पांढुर्णा श्रीमती अलका एक्का ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मोही घाट स्थित दुर्घटना संभावित (ब्लैक स्पॉट) क्षेत्रों का सूक्ष्म परीक्षण कर सड़क सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस अवसर पर यातायात प्रभारी आकांक्षा सहारे, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अभियंता, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारी श्री रजनीश कुमार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। संयुक्त दल द्वारा दुर्घटना संभावित स्थानों पर चेतावनी एवं दिशा-सूचक साइन बोर्ड लगाए जाने की कार्यवाही का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सुरक्षा संकेतक, रिफ्लेक्टर, चेतावनी बोर्ड एवं अन्य सड़क सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कहा कि मोही घाट में दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि वाहन चालकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही सड़क सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक सुधार कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के निर्देश भी दिए गए।

ढाई साल से रेडियोलॉजिस्ट नहीं, निजी अल्ट्रासाउंड सेंटरों से भरोसे मरीज

बैतूल, 9 जुलाई. जिला अस्पताल बिना रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के संचालित हो रहा है, यहां जो रेडियोलॉजिस्ट पदस्थ थे, वह सेवानिवृत्त हो चुके है, तब से लेकर वर्तमान तक नये रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की पदस्थापना नहीं हो पाई है। जिस समय डॉक्टर के सेवानिवृत्ति की तिथि नजदीक थी, उस समय से अस्पताल प्रबंधन ने रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की मांग कर रहा है। लेकिन नये डॉक्टर की पदस्थापना नहीं हो सकी। जिससे मरीजों को सोनोग्राफी कराने में दिक्कते हो रही है।

सवा दो लाख के चेक बाउंस मामले में आरोपी दोषी करार

न्यायालय ने सुनाई 4 माह कठोर कारावास, 2 .34 लाख प्रतिकर देने का आदेश

नवभारत न्यूज़
सौसर 10 जुलाई. सौसर न्यायालय ने चेक बाउंस के एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी विजय पिता लक्ष्मण को दोषी करार देते हुए 4 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने परिवादी को 2 लाख 34 हजार 922 रुपये प्रतिकर राशि अदा करने का आदेश भी दिया है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सुनाया गया। प्रकरण के अनुसार मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक सौसर की ओर से दायर परिवाद में बताया गया कि आरोपी ने ऋण देयता के निर्वहन के लिए 4 मई 2024 को 1 लाख 97 हजार रुपये का चेक जारी किया था। बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त निधि के कारण चेक बाउंस हो गया। आरोपी को विधिसम्मत मांग सूचना पत्र भेजा गया, लेकिन निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किए जाने पर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता शाहजहां बानो ने की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और साक्ष्यों के आधार पर आदेश में कहा कि केवल आरोपी के प्रथम अपराधी होने के आधार पर रियायत नहीं दी जा सकती, क्योंकि चेक जारी करने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ है। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को 4 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

किसानों की सात सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज,
पांढुरना, 10 जुलाई, किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष हरनाम सिंह सेंगर के नेतृत्व में कांग्रेस ने रेली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक सात सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पांढुरना एवं सौसर के विधायक द्वय के साथ ही बडी संख्या में कांग्रेसी तथा किसान उपस्थित थे।

देश तथा प्रदेश की तरह ही पांढुरना जिले के विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे नगर जिला मुख्यालय के पारडी मार्ग पर स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से कांग्रेसियों द्वारा एक रेली निकाली जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची जहां मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक सात सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा जिसमें ई टोकन प्रणाली को तत्काल बंद कर पुरानी व्यवस्था लागू करने, किसानों को रात्रि के समय सिंगल फेस की बिजली नियमित दी जाए, खेतों में कार्य करने के दौरान किसान पर आकाशीय बिजली गिरने या कृषि कार्य करने के दौरान किसान की मृत्यु होने पर इनके परिजनों को पांच लाख का मुआवजा देंने, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले किसानों को प्रति माह दो हजार रूपए पेंशन लागू करने तथा जिले में बोगस दवाईयों बेचने वाले कृषि केंद्रों पर कार्यवाही करने तथा किसान द्वारा कोई भी खाद बीज खरीदने पर उसे पक्का बील अनिवार्य रूप से दिया जाए, किसानों को ऋण माफ किया जाए, ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख मार्गों का सुधार करने की मांग की है ।

इस आशय का ज्ञापन सौंपते समय जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हरनाम सिंह सेंगर, पांढुरना विधायक नीलेश उइके, सौसर विधायक विजय चौरे, ज्ञानेश्वर डोंगरे, भरतसिंह ठाकुर, देवकांत मांडोगड़े, चेतनानंद निकाजु, मोहन गोलाईत आदि मौजूद रहे ।

नीलकंठ एवं लांघा में दबिश, 400 किलो महुआ लाहन नष्ट, दो प्रकरण दर्ज

अवैध शराब के अड्डों पर आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई

नवभारत न्यूज
पांढुर्णा/10 जुलाई, कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त बी.आर. वैद्य के मार्गदर्शन में पांढुर्णा जिले में अवैध शराब के विनिर्माण, परिवहन, संग्रहण एवं विक्रय पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज 10 जुलाई 2026 को आबकारी वृत्त पांढुर्णा की टीम द्वारा ग्राम नीलकंठ एवं लांघा में अवैध शराब के अड्डों पर दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान नालों एवं जंगल में झाड़ियों के समीप अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब निर्माण के लिए पन्नियों एवं ड्रमों में एकत्रित लगभग 400 किलो महुआ लाहन बरामद किया गया। नियमानुसार महुआ लाहन का सैंपल लेकर शेष लाहन निर्मूल्य होने के कारण विधिवत नष्ट किया गया। उक्त कार्रवाई के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत कुल 02 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। कार्रवाई में वृत्त प्रभारी अनिकेत पटेल एवं आबकारी आरक्षक श्री मुकेश रहांगडाले उपस्थित रहे।

रासेयो स्वयंसेवकों ने श्रमदान कर बनाई क्यारिया, किया पौधरोपण

सूखी धरती करे पुकार ,पौधे लगाकर करो श्रृंगार

नवभारत न्यूज
रामाकोना, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामाकोना में शुक्रवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने श्रम सेवा सहयोग की मिसाल पेश करते हुए पौधरोपण के लिए गड्ढे स्वयं तैयार कर उनमें अशोक ,खमेर, आम ,जामुन, पीपल इत्यादि पौधों का रोपण किया । पश्चात स्वयं सेवकों ने शाला परिसर की साफ-सफाई कर एकत्रित कचरे का उचित निपटान किया। शाला प्राचार्य श्री आर डी भकने एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी चंद्रकांत नाचनकर के मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों ने श्रमदान कार्य के अंतर्गत क्यारियों का निर्माण किया। स्वयंसेवकों ने नालिया खोदकर उनमें काली मिट्टी का भराव किया, साथ ही पूर्व में लगाए गए पौधों के आसपास की खरपतवार नष्ट कर उन्हें सुरक्षा जालियों से सुरक्षित किया। स्वयं सेवकों ने शाला में लगे हैंडपंप के आसपास की सफाई कर पानी निकासी की उचित व्यवस्था बनायी। इसके पश्चात स्वयं सेवकों ने रासेयों के लक्ष्य गीत उठे समाज के लिए गीत का गायन कर, सूखी धरती करे पुकार ,पौधे लगाकर करो श्रृंगार, वृक्ष है तो जल है जल है तो कल है इत्यादि नारे लगाए।

इनका रहा सहयोग

इस श्रमदान कार्य में जयश्री फरकसे, दिव्या ढालखंडाईत, दुर्गा कोंडेकर, गायत्री भोयर, नंदनी रुंधे, रूपाली शेंडे, शिवानी पातुरकर, अश्विनी पातुरकर, हार्दिक पातुरकर, सूरज राजूके, हर्षल येलमूले, , मिथुन बास्टे, हिमेश पाल , दर्शन गुर्वे, वैभव जैवार , केतन नेवारे, सुशिल गुर्वे, अध्ययन चौधरी, महेंद्र पातुरकर ने महती भूमिका निभाई।

वर्षा ऋतु में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने पीएचई विभाग सक्रिय

पांढुर्णा। वर्षा ऋतु के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) पांढुर्णा द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित शासकीय हैंडपंपों, नल-जल योजनाओं, कुओं एवं अन्य पेयजल स्रोतों का चरणबद्ध रूप से क्लोरीनेशन कराया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य पेयजल स्रोतों को जीवाणुरहित बनाते हुए जलजनित रोगों की रोकथाम करना तथा नागरिकों को गुणवत्तायुक्त एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।

तडीपार अपराधी धराया

नागपुर, नगर प्रतिनिधि. नवीन कामठी थानाक्षेत्र में देर शाम पुलिस ने एक तडीपार अपराधी को बिना अनुमति शहर सीमा में प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया. आरोपी का नाम कामठी निवासी शेख सलमान उर्फ अब्बु शेख हुसैन (28) बतायसा गया है. जानकारी के अनुसार, शाम करीब 7.20 बजे मिली सूचना के आधार पर जयस्तंभ चौक परिसर से हिरासत में लिया.

कार्यालय नगर पालिका परिषद सौसर जिला :- पांढुर्णा (म.प्र.)

क्रमांक 1039 स्व.भा.मि 2026 सौंसर, दिनांक :- 10/07/2026

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए गए हैं, जो दिनांक 01 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो गए हैं और निकाय सीमा क्षेत्र अंतर्गत नवीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 लागू कर दिये गए है उक्त नियम के नियम क्रमांक 3 (झ) (i), 6 एवं 10 में थोक कचरा उत्पादक (Bulk Waste Generator - BWG) की श्रेणी के लिए वर्णित परिभाषा एवं प्रावधानों को जमीन स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार थोक कचरा उत्पादक की परिभाषा इस प्रकार हैं:-

"भारी मात्रा के अपशिष्ट जनित" वे इकाइयाँ, जो निम्नलिखित मानदण्डों में से कम से कम एक को पूरा करते हो :-

1) 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल (Floor Area) वाले भवन या 2) प्रतिदिन 40,000 लीटर पानी की खपत; या 3) प्रतिदिन 100 किलोग्राम ठोस अपशिष्ट उत्पादन सम्मिलित है।

उक्तानुसार निकाय सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मैरिज गार्डन, होटल / रेस्टोरेन्ट धर्मशाला, छात्रावास, सामुदायिक भवन, रहवासी संघ एवं अन्य संस्थान आदि, जो कम से कम एक मानदण्ड को पूर्ण करते है तो वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2026 के अनुसार थोक कचरा उत्पादक की श्रेणी में माने जावेंगे। ऐसे थोक कचरा उत्पादको को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2026 के प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है-

थोक कचरा उत्पादक हेतु दिशा-निर्देश :-

1) सभी थोक कचरा उत्पादकों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार केंद्रीकृत पोर्टल (Centralised Portal) पर पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। 2) संस्थान में उत्पन्न गीले, सूखे एवं घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को पृथक्कीकृत कर एकत्र करना। 3) एकत्र गीले कचरे का संस्थान में ही निष्पादन करना। 4) पिट कंपोस्टिंग, बायोगैस अथवा ओ.डब्ल्यू.सी. मशीन या अन्य माध्यमों से कचरे का निष्पादन करना। 5) प्रतिदिन उत्पन्न कचरे के नियमानुसार प्रबंधन हेतु केयर टेकर को नियुक्त करना। 6) निष्पादित गीले कचरे से उत्पन्न खाद का उपयोग करना। 7) संस्थान से निकलने वाले सूखे एवं अन्य अपशिष्ट को निकाय के आधिकारिक कचरा संग्राहक को सौंपना। 8) प्रतिदिन प्रसंस्कृत किये गए गीले अपशिष्ट एवं उत्पन्न खाद की लॉग बुक में संधारण करना। 9) यदि संस्थान अपने परिसर में ही गीले कचरे का प्रसंस्करण करने में असमर्थ है, तो नियमानुसार निकाय अथवा निकाय द्वारा अधिकृत संस्था से गीले कचरे के प्रसंस्करण हेतु अनुबंध निष्पादन कर निकाय से विस्तारित थोक अपशिष्ट जनित उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र (Extended Bulk Waste Generator Responsibility - EBWGR Certificate) प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

10) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के नियम क्रमांक 6 एवं 10 में वर्णित समस्त प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सभी थोक कचरा उत्पादक अपने परिसर में ही कचरे का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा निकाय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। यदि उल्लेखित संस्थान आदि उक्त अधिनियम का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं राशि रुपये (जैसा निकाय द्वारा निर्णय लिया जाए) प्रतिदिन के मान से अर्थदंड आरोपित किया जाएगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सौंसर

कार्यालय नगर परिषद मोहगॉव जिला- पाण्ढुर्णा (म0प्र0)

Ward Number 14, Bazar Chowk, Mohgaon, 07165-277124
Email- cmomohagaon@mpurban.gov.in Website- www.mohgaon.mp-np.in
क्रमांक : स्व.भा.मि./2026/330 दिनांक:- 09/07/2026

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए गए हैं, जो दिनांक 01 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो गए हैं और निकाय सीमा क्षेत्र अंतर्गत नवीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 लागू कर दिये गए है उक्त नियम के नियम क्रमांक 3 (झ) (i), 6 एवं 10 में थोक कचरा उत्पादक (Bulk Waste Generator - BWG) की श्रेणी के लिए वर्णित परिभाषा एवं प्रावधानों को जमीन स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार थोक कचरा उत्पादक की परिभाषा इस प्रकार हैं:-

"भारी मात्रा के अपशिष्ट जनित" वे इकाइयाँ, जो निम्नलिखित मानदण्डों में से कम से कम एक को पूरा करते हो :-

1) 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल (Floor Area) वाले भवन या 2) प्रतिदिन 40,000 लीटर पानी की खपत; या 3) प्रतिदिन 100 किलोग्राम ठोस अपशिष्ट उत्पादन सम्मिलित है।

उक्तानुसार निकाय सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मैरिज गार्डन, होटल / रेस्टोरेन्ट धर्मशाला, छात्रावास, सामुदायिक भवन, रहवासी संघ एवं अन्य संस्थान आदि, जो कम से कम एक मानदण्ड को पूर्ण करते है तो वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2026 के अनुसार थोक कचरा उत्पादक की श्रेणी में माने जावेंगे। ऐसे थोक कचरा उत्पादको को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2026 के प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है।

थोक कचरा उत्पादक हेतु दिशा-निर्देश:-

1) सभी थोक कचरा उत्पादकों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार केंद्रीकृत पोर्टल (Centralised Portal) पर पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। 2) संस्थान में उत्पन्न गीले, सूखे एवं घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को पृथक्कीकृत कर एकत्र करना। 3) एकत्र गीले कचरे का संस्थान में ही निष्पादन करना। 4) पिट कंपोस्टिंग, बायोगैस अथवा ओ.डब्ल्यू.सी. मशीन या अन्य माध्यमों से कचरे का निष्पादन करना। 5) प्रतिदिन उत्पन्न कचरे के नियमानुसार प्रबंधन हेतु केयर टेकर को नियुक्त करना। 6) निष्पादित गीले कचरे से उत्पन्न खाद का उपयोग करना। 7) संस्थान से निकलने वाले सूखे एवं अन्य अपशिष्ट को निकाय के आदिकारिक कचरा संग्राहक को सौंपना। 8) प्रतिदिन प्रसंस्कृत किये गए गीले अपशिष्ट एवं उत्पन्न खाद की लॉग बुक में संधारण करना। 9) यदि संस्थान अपने परिसर में ही गीले कचरे का प्रसंस्करण करने में असमर्थ है, तो नियमानुसार निकाय अथवा निकाय द्वारा अधिकृत संस्था से गीले कचरे के प्रसंस्करण हेतु अनुबंध निष्पादन कर निकाय से विस्तारित थोक अपशिष्ट जनित उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र (E&tended Bulk Waste Generator Responsibility - EBWGR Certificate) प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

10) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के नियम क्रमांक 6 एवं 10 में वर्णित समस्त प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सभी थोक कचरा उत्पादक अपने परिसर में ही कचरे का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा निकाय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। यदि उल्लेखित संस्थान आधी उक्त अधिनियम का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं राशि रुपये (जैसा निकाय द्वारा निर्णय लिया जाए) प्रति दिवस के मान से अर्थदंड आरोपित किया जाएगा।

मुख्य नगर परिषद अधिकारी
नगर परिषद, मोहगांव

बैठक — **जिला अध्यक्ष संदीप मोहोड एवं नपा अध्यक्ष सुरेखा डागा के निवास पर वरिष्ठ नेतृत्व का आगमन**

सौसर में शक्ति केंद्र की बैठक और भव्य स्वागत

नवभारत न्यूज़
सौसर 10 जुलाई. भारतीय जनता पार्टी के संभाग प्रभारी डॉ. सोलंकी एवं जिला संगठन प्रभारी दीपांकर बैनर्जी का गुरुवार को सौसर नगर में आगमन हुआ। सौसर पहुंचने पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पूरे उत्साह, आत्मीयता और ढोल-धमाकों के साथ वरिष्ठ नेतृत्व का भव्य स्वागत किया। इसके उपरांत भाजपा कार्यालय सौसर में सौसर शक्ति केंद्र की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शक्ति केंद्र स्तर पर संगठन को जमीनी रूप से सक्रिय, सशक्त और गतिशील बनाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उपस्थित पदाधिकारियों ने संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और जनसेवा के प्रति और अधिक समर्पित होकर कार्य करने का संकल्प लिया।

वरिष्ठ नेताओं का निवास पर आत्मीय स्वागत : संगठनात्मक प्रवास के क्रम में संभाग प्रभारी डॉ. सोलंकी एवं जिला संगठन प्रभारी दीपांकर बैनर्जी भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप मोहोड के निवास पहुंचे। जहां जिला अध्यक्ष संदीप मोहोड एवं परिजनों ने वरिष्ठ नेताओं का आत्मीय स्वागत-सत्कार किया। त्पश्चात वरिष्ठ प्रभारियों का आगमन नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सुरेखा डागा के निवास पर हुआ। यहां नपा अध्यक्ष श्रीमती डागा एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर नेतृत्व का अभिनंदन किया। निवास पर वरिष्ठ नेताओं ने स्थानीय विषयों और संगठनात्मक मजबूती पर सकारात्मक चर्चा की। इस दौरान पूर्व राज्यमंत्री नाना भाऊ मोहोड, वरिष्ठ नेता संतोष जैन, मोरेश्वर मर्सकोले, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य वैशाली महाले, प्रदेश प्रवक्ता अजय धवले, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सुरेखा डागा, हरीश बत्रा, राजेंद्र भक्ते सहित जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मोर्चा जिला अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।